

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

## आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 315 /2019

दिनांक :05.02.2019

श्री सुशील कुमार शर्मा (RJ0273), विशिष्ठ न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 क्रम-02, बून्दी को दिनांक 06.02.2019 से 08.02.2019 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 09.02.2019 से 10.02.2019 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री शर्मा की अनुपस्थिति में विशिष्ठ न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 क्रम-01, बून्दी इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ठ न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 क्रम-02, बून्दी के पद पर ही होने की संभावना है ।

आज्ञा से  
05.2.19

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/96/1996/ 1329

दिनांक :05.02.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ठ न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 क्रम-02, बून्दी को उनके पत्रांक 207 दिनांक 15.01.2019 के सन्दर्भ में ।
3. श्री सुशील कुमार शर्मा (RJ0273), विशिष्ठ न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 क्रम-02, बून्दी ।
4. विशिष्ठ न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 क्रम-01, बून्दी ।

05.2.2019  
सहायक रजिस्ट्रार